

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 2015

फा. सं. एल-विविध/VI/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) विनियम, 2008, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस के विपणन तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में संलग्न कंपनी के लिए आचार संहिता) विनियम, 2008, के विनियम 12 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत् :—

“12. विविध.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्यधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/अमा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 540(अ) दिनांक 17-07-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/42 दिनांक 19/02/2014 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VII/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Affiliate Code of Conduct for Entities Engaged in Marketing of Natural Gas and Laying, Building, Operating or Expanding Natural Gas Pipeline) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely :—

“12. Miscellaneous.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulation were notified *vide* GSR 540(E) dated 17-07-2008 and amended *vide* F. No. PNGRB/M(C)/42 19-02-2014.